भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1132
उत्तर देने की तारीख-10/12/2025

आरक्षित संकाय रिक्तियों का बैकलॉग

1132 श्री मोहम्मद नदीमुल हक़:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्गों/श्रेणियों के लिए चिन्हित की गई रिक्तियों की कुल संख्या का महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान आरक्षित वर्गों/श्रेणियों में अधिसूचित, भरी गई और अग्रेणीत की गई रिक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष भर्ती अभियान चला कर शेष रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों और संविधियों, अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान है। इस

अधिनियम के तहत अलग-अलग विभागों के बजाय विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को आरक्षण के उद्देश्य से एक इकाई के रूप में मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण के संबंध में कठिनाई को दूर किया जाता है। इसके अलावा, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2019 से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया गया था। पहले ओबीसी को आरक्षण केवल सहायक प्रोफेसर स्तर पर था। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को केवल उस विशेष श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा ही भरा जा सकता है; किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित किसी भी अपूर्ण पद को भर्ती के अगले चक्र (चक्रों) में उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के रूप में पुनर्विज्ञापित किया जाएगा जब तक कि भरा नहीं जाता है।

इसके अलावा, यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए 02.05.2023 को एक एकीकृत भर्ती पोर्टल अर्थात सीयू-चयन का शुभारंभ किया। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यह भी अनुदेश दिया गया है कि वे पात्र अभ्यर्थियों को प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का समाधान करने के लिए पूरे वर्ष अपनी वेबसाइटों पर चल विज्ञापन प्रकाशित करें। इसके अलावा, सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्य शर्त में भी ढील दी गई है।

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से रिक्तियों को भरने का निदेश दिया गया है। इसके अलावा, सितंबर 2022 में शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1129 अनुसूचित जाति के पदों, 551 अनुसूचित जनजाति के पदों, 1917 ओबीसी पदों और 420 ईडब्ल्यूएस पदों सहित 8320 से अधिक शिक्षण पदों को भरा गया है।

*****